समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन न0 0612–2219545 (क
फैक्स न0–0612–2218
Email : dampatnaarmssection@gmail.c
dm-patna.bih@nic

–: आदेश :–

07-09-2013

आवेदक **श्री संतोष कुमार,** पिता–श्री आशदेव शर्मा, सा0–मुशेपुरा, खैरा, पो0 अरई, थाना–दाउदनगर, जिला–औरंगाबाद, वर्तमान–अनुमण्डल पदाधिकारी, पालीगंज से प्रा एक एक एन0पी0बोर पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09 512/2012 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवा की तिथि–06.09.2013 निर्धारित की गई। अपरिहार्य कारणों से सुनवाई की पहली तिथि स्थगि करते हुए दूसरी तिथि–07.09.2013 निर्धारित की गई।

दिनांक–07.09.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वा उपस्थित होकर बताया गया कि वे पूर्व में अनुमण्डल पदाधिकारी, पालीगंज के पद प पदस्थापित थें। सम्प्रति वे मधुबनी जिला में मध्याह्न भोजन योजना के प्रभारी पदाधिकारी है वे मूलतः औरंगाबाद जिला के निवासी हैं, लेकिन अब वे पटना जिला के स्थायी निवासी ह गये हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने क अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध न कराया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–97/गो0, दिनांक–15.01.2013 द्वा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त मात्र अग्रसारित किया गया है, को अनुशंसा अंकित नहीं की गयी है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पालीगंज, पटना द्वा थानाध्यक्ष, पालीगंज के अग्रसारण के आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन क अग्रसारित कर अवलोकनार्थ भेजी गयी है। थानाध्यक्ष, पालीगंज द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि वे अनुमण्डल पदाधिकारी, पालीगंज के रूप में पदस्थापित हैं। तदोपरान्त आवेदक जान–माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है, लेकिन आवेद को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है। थानाध्यक्ष द्वा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–10 के सभी बिन्दुओं पर कुछ भी प्रतिवेदित नहीं करने के बावज आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को अग्रसारित किया गया है, लेकिन इसके लिए को कारण नहीं बताया गया है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि "आवेद की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाध ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेग अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझ और उप–धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अ उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुद करने से इन्कार करेगा :

परन्तु जहॉ निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर विहि समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहॉ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो व

विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश द सकेगा।"

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उन द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पूर्व अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि थानाध्यक्ष के द्वारा आवेद को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने की अनुशंसा पूर्व में उनके पदीय दायित्वों के निर्वहन क ध्यान में रखते हुए की गई थी, जो वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं है और आवेदक को सुर के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है। उन्हें एक एक एन0पी0बोर पिस्टल ह शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों प वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेद श्री संतोष कुमार, पिता–श्री आशदेव शर्मा, सा0–मुशेपुरा, खैरा, पो0–अरई, थाना–दाउदनग जिला–औरंगाबाद, वर्तमान–अनुमण्डल पदाधिकारी, पालीगंज के आवेदित एक एन0पी0ब पिस्टल अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी
पटना।